झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः— रा0खा0आ0 (निति) 17/2021—357

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :— 05.04.2022

विषय :— **खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 की धारा—4 (क), धारा—5 (1) (क) एवं धारा—8 के उल्लंघन के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः— आयोग का पत्रांक—717 दिनांक—02.11.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा गढ़वा एवं पलामू में THR बन्द होने एवं Hot Cooked Meal के बदले बच्चों को दिया जाने वाला अनाज एवं अन्य सामग्री भी बन्द होने की सूचना दी गई थी। साथ ही यह भी निदेश दिया गया था कि THR एवं Hot Cooked Meal के बदले दिये जाने वाले अनाज एवं अन्य सामग्री को निर्बाध रूप से लाभुकों को उपलब्ध कराया जाए तथा जिस अवधि में इसकी आपूर्ति नहीं की गई है, उस अवधि का खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कार्रवाई हेतु निदेशक, समाज कल्याण को पत्र दिया गया था, जिसकी प्रति ज्ञापांक—2198 दिनांक—25.11.2021 से आयोग को दी गई थी। परन्तु पाँच माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कृत कार्रवाई की सूचना आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। निदेशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में कृत कार्रवाई से आयोग को 15 दिनों के अन्दर अवगत कराया जाए।

विश्वासभाजन

05/04/2022

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Chairman Sir new\letter.docx32